

[Prof. Rup Chand Pal]

employment relief, free and compulsory education upto secondary stage, placing of education in the State List, allocation of 10 per cent of Budget provisions for education, introduction of mother tongue as medium of instruction throughout the country, bringing down of voting age to 18, radical land reforms to relieve pressure of growing unemployment.

The representatives of the above mentioned Action Committee are handing over a Memorandum containing the above demands signed by several millions of youth and students of our country to the Hon'ble Prime Minister of India today.

I urge upon the Central Government to give due consideration to the demands of the youth and students of our country and take all necessary steps at an early date to mitigate the sufferings of the youth and students of our country.

(vi) NEED FOR IMPROVING THE LOT OF THE DISABLED AND HANDICAPPED PERSONS

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) :
उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार की मांग ले कर तीन नेत्रहीन व्यक्ति बोट क्लब में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं।

देश में भारी संख्या में विकलांग हैं जिन्हें समाज तथा सरकार की ओर से घोर उपेक्षा की जा रही है। इन विकलांगों में शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों हैं जो देश के विकास और उत्पादन को बढ़ाने के लिये दृढ़ आत्म-विश्वास रखते हैं। शारीरिक मजबूरियों के बावजूद इनका इस्तेमाल उपरोक्त उद्देश्यों की आपूर्ति की दिशा में किया जा सकता है।

विकलांगों में महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है। इनके सामने रोजी रोटी एवं आत्म सम्मान एवं प्रतिष्ठा बचाने के लिये कोई उपाय नहीं रहने के कारण और भी कठिन समस्या है।

विकलांगों में बहुत सारे प्रशिक्षित भी हैं। पर उचित सहायता के अभाव में

इन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। इनका जीवन नारकीय बन गया है।

इस विकलांग वर्ष में भी इनकी दशा सुधारने, अन्य नागरिकों की तरह इन्हें भी सम्मानित नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है।

अतः मैं देश के लाखों विकलांगों की दयनीय अवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूँ कि देश के तमाम उपशिक्षित एवं प्रताड़ित विकलांगों की अवस्था में अविनाश सुधार लाने के लिये सरकार निम्नलिखित कदम उठावे :

(क) तमाम विकलांगों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार देने की कालबद्ध योजना बनाए और इसके लिये केन्द्रीय एवं अन्य स्तर के रोजगारों में उचित आरक्षण की व्यवस्था करे।

(ख) विकलांगों के आवास की अविनाश व्यवस्था की जाय।

(ग) इनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखरेख एवं इलाज की निःशुल्क कारगर व्यवस्था की जाय।

(घ) शारीरिक रूप में अक्षम लोगों को सक्षम बनाने के लिये जितने भी उपकरणों की आवश्यकता पड़े उन्हें निःशुल्क देने की फौरेन व्यवस्था की जाय।

(vii) ALLEGED NEGLIGENCE OF THE MEDICAL STAFF OF NATIONAL FERTILIZER LTD., BHATINDA

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): Sir, I wish to raise a matter under Rule 377 regarding alleged negligence of medical staff of National Fertilizer Limited, Bhatinda, causing great unrest among the employees. On the morning of 11th September, 1981, a serious accident took place near the Factory Gate between a factory bus and a scooter. One died on the spot. It is reported that on account of negligence on the part of medical authorities of the factory another young man also died. Timely attention and medical help could